सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 39 / 16</u> निर्णय दिनांकः— 28—08—2019

श्री बिन्नाणी पंचायत ट्रस्ट, बीकानेर जरिये ट्रस्टीगण

1. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर।
2. कन्हैयालाल पुत्र हड़मानदास जाति बिन्नाणी निवासर जस्सूसर गेट के अन्दर, बीकानेर।
3. मक्खनलाल पुत्र शिवरतन जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर।
4. सुशील कुमार पुत्र नथमल जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर हाल कोलकत्ता।
5. रामेश्वरलाल पुत्र रणछोड़दास जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर हाल कोलकत्ता
6. भंवरलाल पुत्र प्रेमरतन जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर हाल कोलकत्ता
7. धनश्याम पुत्र गोविन्दलाल जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर हाल कोलकत्ता 5 ता 7 जरिये मुख्त्यारआम भगवानदास बिन्नाणी पुत्र सोहनलाल जाति बिन्नाणी निवासी चूनगरों का मौहल्ला, बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. किशनलाल दत्तक पुत्र सूरजकरण जाति बिन्नाणी निवासी बिन्नाणी चौक, बीकानेर।
2. श्रीमती संतोष सुराणा पत्नि नवीन जाति सुराणा निवासिनी किशोर निवास, लक्ष्मीनाथ जी घाटी, बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 11—04—2016
सहायक जिलाधीश बीकानेर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री सोमदत्त पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री महेन्द्र कल्ला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 11—04—2016 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अपीलांट का दावा जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि गैर मनकूला तादादी 10778 वर्गगज जस्सूसर गेट के बाहर, पुरानी गजनेर रोड, बीकानेर में स्थित है। जिस पर 150 साल पुरानी तलाई बनी हुई है तथा उक्त तलाई के पश्चिम में बिन्नाणी समाज की बगेची के पट्टों की जमीन है। जिसका उपयोग व उपभाग प्रारम्भ से ही बिन्नाणी पंचायत ट्रस्ट, बीकानेर द्वारा किया जाता रहा है। श्री बिन्नाणी पंचायत ट्रस्ट की बगेची के पुजारी एवं देखरेख कर्ता ही तलाई की देखरेख भी करते आ रहे है। जिसके चारों और दस फीट चारदिवारी बनाई जाकर उसमें दरवाजें आदि लगाये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आने के कारण उनके द्वारा उक्त भूमि ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 375 की 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपनी होना बताकर वादी/अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जाता रहा है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य काफी लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है तथा नया शहर थाना में इस आश्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ग्राम चकगर्बी के खसरा नम्बर 375 की 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपनी खातेदारी होने का कथन किया जा रहा है, जबकि वादग्रस्त भूमि मात्र 10778 वर्गगज भूमि है तथा उसके आसपास की भूमि अलग–अलग पट्टों की भूमि है जो बहुत पुराने पट्टे है तथा चारों और आबादी बसी हुई है। मौके पर अन्य लोगों के आवासीय पट्टे बने हुए है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि खसरा नम्बर 375 की कृषि भूमि होना नहीं माना जा सकता। उक्त खसरा नम्बर 375 की भूमि शहरी क्षेत्र से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए गलत रूप से फिटिंग करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम ट्रस्टियों की और से भगवानदास बिन्नाणी को मुख्त्यारआम नियुक्त करते हुए एक वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को वादी की कब्जेशुदा भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश न करने या कोई ऐसा तर्क या फेल नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे ताकि अपीलांट/वादीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मुख्त्यारआम भगवानदास की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में दावा अबेट हो चुका है। जबकि तमाम ट्रस्टियों की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि यदि मुख्त्यारआम की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उनका नाम कलमजद किया जाकर अन्य ट्रस्टीगण की और से प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किये बिना भगवानदास मुख्त्यारआम की मृत्यु हो जाने व वादी संख्या 2 का नाम ट्रस्ट डीड में रजिस्टर्ड नहीं होने व अन्य वादी संख्या 3, 6 ता 8 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जब प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना लम्बित था

तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को मात्र तकनीकी बिन्दु का सहारा लेकर प्रकरण निस्तारण करने के स्थान पर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर किये बिना तथा बिना न्यायिक विवेचन किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए बताया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद जरिये मुख्त्यारआम भगवानदास प्रस्तुत किया गया था। भगवानासका देहान्त दिनांक 24—09—2009 को हो गया था। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्षकार की मृत्यु के 90 दिन की अवधि के भीतर—भीतर अन्य ट्रस्टीगण को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन अपरिहार्य है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट की मृत्यू दिनांक 24—09—2009 के उपरान्त 90 दिवस दिनांक 23—12—2000 को पूर्ण हो जाते है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त निर्धारित अवधि में न तो मृतक का नाम कलमजद कराने व विगत् सात वर्ष तक किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई पैरवी की है ना ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में 90 दिवस के भीतर—भीतर रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है। उक्त प्रावधान सीपीसी में स्वमेव निर्धारित किये गये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे कथन किया कि अन्य पक्षकार शंकरलाल व मखनलाल ट्रस्टी है अथवा नहीं इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर उनके किसी प्रकार के कोई हक व हकूक साबित होते हो ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ट्रस्टडीड प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भगवानदास द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी भगवानदास द्वारा की जा रही थी। चूंकि भगवानदास की मृत्यु होने पर व अन्य किसी ट्रस्टी का

वकालतनामा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण व वादपत्र अबेट होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 2 का नाम ट्रस्ट डीड में रजिस्टर्ड नहीं होने, वादी संख्या 4 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध साबित नहीं होने व वादी संख्या 5 की और से कोई असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण व उनका नाम ट्रस्टडीड में अंकित नहीं होने के कारण तथा वादी संख्या 3, 6 जा 8 के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि गैर मनकूला तादादी 10778 वर्गगज जस्सूसर गेट के बाहर, पुरानी गजनेर रोड, बीकानेर में स्थित है के बाबत् धोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त वाद दिनांक 11—04—2016 को जरिये अबेटमेंट व अन्य वादीगण के उपस्थित नहीं आने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र जरिये मुख्त्यारआम भगवानदास दिनांक 30—07—2009 को प्रस्तुत किया गया था। मुख्त्यारआम भगवानदास की मृत्यु वादपत्र पेश करने के करीब दो माह उपरान्त अर्थात 24—09—2009 हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करीब 7 वर्ष तक

इस आश्य की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई व वादपत्र मृत व्यक्ति के विरूद्व जैरकार चलता रहा। जबकि विधिक रूप से मृत्यु के 90 दिन की अवधि के भीतर–भीतर अन्य ट्रस्टीगण को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना कानूनन अपरिहार्य है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06–04–2016 को इस आश्य की सूचना प्रस्तुत करते हुए अन्य ट्रस्टीगण की तरफ से कार्यवाही चालू रखने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया ही साबित है कि अपीलांट/वादीगण अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहे है। न्याय प्रक्रिया इस प्रकार की लापरवाही को अनदेखा नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में 90 दिवस के भीतर–भीतर रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में व वादी/अपीलांट अपने कृत्य के प्रति लापरवाह रहने के कारण दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है। उक्त प्रावधान सीपीसी में स्वमेव निर्धारित किये गये है।

इस संबंध में सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि L.R's-Bringing on record, Abatement is automatic when application for bringing on record L.R's is not filed within prescribed period and no specific order of the Court is required in this respect- Thereafter , the remedy available is that application U.O.22 R.9 CPC is filed within the prescribed period with the prayer that the abatement may be set aside and for that sufficient cause is also required to be shown. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के तहत खारिज करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

प्रकरण में जहॉ तक ट्रस्टडीड का प्रश्न है, उक्त ट्रस्टडीड को सबरजिस्ट्रार के समक्ष तो पंजीकृत करवाया गया है, परन्तु ट्रस्ट को किसी सक्षम अधिकारी से पंजीकृत नहीं करवाया गया है। प्रकरण में

दिनांक 15–12–2008 को सुशीलकुमार, रामेश्वरदास, धनश्यामदास, भंवरलाल ट्रस्टियों ने भगवानदास बिन्नाणी को मुख्त्यारआम बनाया गया है, इसी प्रकार दिनांक 20–12–2008 को शंकरलाल, कन्हैयालाल, मखनलाल ने ट्रस्टी बताकर भगवानदास को मुख्त्यारआम बनाते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि जब ट्रस्ट ही पंजीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में पॉवर ऑफ एटरनी देने वालों की हैसियत भी स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण की वैयतिक हैसियत से वाद लाना माना जायेगा व उक्त व्यक्ति ही फौत हो चुका है तो वाद स्वतः ही अबेट हो गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि को नगरीय क्षेत्र की भूमि मानते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी/प्रतिवादी खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादपत्र स्वमेव अस्पष्ट होने व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीगण के वादपत्र को खारिज करनें में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–04–2016 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर